

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि.प्रा. (II) नया पो. सं.– 5/ 2014–

/पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,  
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

**विषय – शेखपुरा जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू. 4254.78 लाख (बेयालिस करोड़ चौवन लाख अठहतर हजार रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।**

**आदेश :- स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-4215(भ) अनु, दिनांक 22.04.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलित राशि के अधार पर शेखपुरा जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू. 4254.78 लाख (बेयालिस करोड़ चौवन लाख अठहतर हजार रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि, योजना बजट के "मुख्यशीर्ष- 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष-051–निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0117– इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)," विपत्र कोड:- पी 4059800510117 के अधीन मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त स्वीकृत राशि से संस्थान में प्रस्तावित Shop & Dispensary भवन का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, शेखपुरा को प्रदान किया जायेगा।
- विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, शेखपुरा को प्रदान किया जायेगा।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा होंगे।
- आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।
- विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- इस पोलिटेकनिक की स्थापना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-20, दिनांक 09.01.2015 के द्वारा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल-शेखापुरसराय, मौजा-खुड़िया, थाना सं.-05, खाता संख्या-30, खेसरा सं.-841 के रकवा 7 एकड़ (सात एकड़) गैर मजरूआ आम (कुम्हरी नदी की भूमि) भूमि पर, की जायेगी।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96वि(2), दिनांक 03.01.2008 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 17.07.2015 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-20 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह./ -

(ओम प्रकाश राय)  
सरकार के अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

